



2026:AHC:58360

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्राथना पत्र धारा 482 बीएनएसएस संख्या -

2556 सन् 2026

परवेज एवं अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: राजेश कुमार पांडेय

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पांडेय, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री शिव दत्त शुक्ला, को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. प्रस्तुत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 263/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 115(2), 352, 351(3), 125 तथा आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत, थाना बी.बी. नगर, जनपद बुलंदशहर में, इस प्रार्थना के साथ अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की दशा में आवेदकों को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है, तथा सह-अभियुक्त सोहेल को इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2026 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या 1454/2026 में पारित आदेश द्वारा पहले ही अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दो समूह के व्यक्ति आपस में लड़ाई में लिप्त हुए बताए जाते हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई है और कथित घटना में किसी भी अभियुक्त को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकों का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आपराधिक इतिहास है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने एवं जब भी जाँच एजेंसी अथवा न्यायालय द्वारा आवश्यक हो उपस्थित होने का वचन देते हैं तथा यदि उन्हें अग्रिम जमानत दी जाती है तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक संख्या 1 परवेज का धारा 325 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध से संबंधित आपराधिक इतिहास है।

5. सह-अभियुक्त सोहेल को इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2026 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या 1454/2026 में पारित आदेश द्वारा पहले ही अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दो समूह के व्यक्ति आपस में लड़ाई में लिप्त हुए बताए जाते हैं और कथित घटना में किसी भी आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया है कि आवेदक संख्या 1, परवेज का भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अंतर्गत अपराध से संबंधित एक मामले का आपराधिक इतिहास है।

6. यह कहा जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अग्रिम जमानत याचिका पर न्याय निर्णयन करते समय न्यायालय को आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी की न्यायिक प्रक्रिया से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और यह कि न्यायालय को आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए और आरोपी की वास्तविक भूमिका पर भी विचार करना चाहिए।

7. प्रस्तुत प्रकरण में, अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का प्रकरण बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में आवेदक - परवेज एवं शर्वेज @ शाहवेज की गिरफ्तारी की दशा में, उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जिसके लिए वह रु. 50,000/- का व्यक्तिगत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बन्ध-पत्र, दो प्रतिभूतियां प्रत्येक समान राशि की संबंधित न्यायालय के संतोषप्रद पर प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- (i) आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा संबंधित न्यायालय द्वारा छूट प्रदान किए जाने के अतिरिक्त, नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;
- (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति या पुलिस अधिकारियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई धमकी, वादा या प्रलोभन नहीं देंगे जिससे कि वह ऐसे तथ्य को न्यायालय के समक्ष या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट न करने पर मान जाए;
- (iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को आवेदक को प्रदत्त अग्रिम जमानत निरस्त करने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

17 मार्च, 2026

नीतू